

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:—(दिव्या) RAS

प्रकरण संख्या:—127 / 2024

वादपत्र अन्तर्गत धारा:— 88 आर.टी.ए.

नसीम अकरम पुत्र मकबूल मोहम्मद जाति राठ मुसलमान निवासी चक 37 एन.जी.सी. ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.) नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता मकबूल मोहम्मद जाति राठ मुसलमान निवासी चक 37 एन.जी.सी. ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

—: वादी

बनाम्

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ जिला हनुमानगढ

—: प्रतिवादी

उपस्थित :-

1. श्री सुरेन्द्र सिहाग – अधिवक्ता वादी
2. श्री राज पैरोकार – प्रतिवादी

—:निर्णय:—

दिनांक

अधिवक्ता वादी द्वारा यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के नाम चक 37 एनजीसी के खाता सं. 9/27 में वादी का नाम नसीर अकरम दर्ज है जबकि वादी का सही नाम नसीम अकरम है। इसी चक के खाता सं. 37/52, 38/79 व 9/27 में वादी के पिता का नाम मकबूल दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जबकि वादी के पिता का सही नाम मकबूल मोहम्मद है साक्ष्य के तौर पर नसीम अकरम का जन्म प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड, संलग्न वाद पत्र किए जिसमें वादी का नाम नसीम अकरम व वादी के पिता का नाम मकबूल मोहम्मद अंकित है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के अनुतोष में चक 37 एन.जी.सी खाता सं. 9/27 में वादी का नाम नसीर अकरम की जगह सही नाम नसीम अकरम दुरुस्त करवाना चाहा है व इसी चक के खाता सं. 37/52, 38/79 व 9/27 में वादी के पिता का नाम मकबूल की जगह मकबूल मोहम्मद दर्ज राजस्व करवाने का अनुतोष चाहा है।

≈ वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तहसीलदार हनुमानगढ से मौका व तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार हनुमानगढ के पत्रांक भूअ./2024/1594 दिनांक 02.05.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें संलग्न दैनिक डायरी पटवार हल्का सतीपुरा दिनांक 22.04.2024 का अवलोकन किया गया। मजमे आम तैयार दैनिक डायरी में हल्का पटवारी द्वारा अंकित किया गया है कि नसीर अकरम व नसीम अकरम एक ही व्यक्ति है इसी प्रकार मकबूल व मकबूल मोहम्मद भी एक ही व्यक्ति के नाम है। वादी द्वारा अपने अनुतोष के समर्थन में शामिल मिसल दस्तावेज यथा जन्म प्रमाण पत्र व परिवार राशन कार्ड में वादी का नाम नसीम अकरम व वादी पिता का नाम मकबूल मोहम्मद अंकित है। बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वाद पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:क्रियात्मक आदेश:—

अतः वादी वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि:— चक 37 एन.जी.सी खाता सं. 9/27 में वादी का नाम नसीर अकरम की जगह सही नाम नसीम अकरम व इसी चक के खाता सं. 37/52, 38/79 व 9/27 में वादी के पिता का नाम मकबूल की जगह मकबूल मोहम्मद दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे व इसी अनुसार अमलदरामद कर राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:-(दिव्या) RAS

प्रकरण संख्या:-127 / 2024

नसीम अकरम पुत्र मकबूल मोहम्मद जाति राठ मुसलमान निवासी चक 37 एन.जी.सी. ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.) नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता मकबूल मोहम्मद जाति राठ मुसलमान निवासी चक 37 एन.जी.सी. ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

—: वादी

बनाम्

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ जिला हनुमानगढ

—: प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा:- 88 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ दिव्या आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री सुरेन्द्र सिहाग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री राज पैरोकार मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:- चक 37 एन.जी.सी खाता सं. 9/27 में वादी का नाम नसीर अकरम की जगह नाम **नसीम अकरम** व इसी चक के खाता सं. 37/52, 38/79 व 9/27 में वादी के पिता का नाम मकबूल की जगह **मकबूल मोहम्मद** दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे व इसी अनुसार अमलदरामद कर राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो आदेश की पालना की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक को जारी किया गया।

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ